



UPLL010046572025

## न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

उपस्थित:– अशोक कुमार सिंह, एच.जे.एस.,

आपराधिक निगरानी संख्या 73/2025

मो० इम्तियाज, उम्र करीब 55 वर्ष, पुत्र मो० इब्राहीम, सदन जूस बहार, कटरा बाजार ललितपुर, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

-----निगरानीकर्ता।

### बनाम

1. प्रदीप जी खुराना, वर्तमान रीजनल मैनेजर, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, रीजनल ऑफिस- ग्वालियर रोड झाँसी, जिला झाँसी,
2. नीरज दीक्षित, वर्तमान मुख्य शाखा प्रबन्धक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुख्य शाखा ललितपुर, थाना कोतवाली ललितपुर,
3. स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

-----विपक्षीगण।

### निर्णय

1. वर्तमान दाण्डिक निगरानी विद्वान सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा प्रार्थना पत्र 176/2025 मो० इम्तियाज बनाम प्रदीप खुराना आदि धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. धारा 318(4), 316(5) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.08.2025 के विरुद्ध संस्थित की गयी है। आक्षेपित आदेश से विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता मो० इम्तियाज द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गुण-दोष पर निरस्त किया है।

2. निगरानी की उत्पत्ति करने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि-

इस निगरानी में निगरानीकर्ता मो० इम्तियाज (एतिस्मिनपश्चात संदर्भित आवेदक) द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर के न्यायालय में विपक्षीगण 1 व 2 क्रमशः प्रदीप खुराना एवं नीरज दीक्षित (एतिस्मिनपश्चात संदर्भित विपक्षीगण) के विरुद्ध धारा 318(4), 316(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रथमा सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक प्रदीप खुराना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.2019 को ऋणी श्रीमती स्मोत्तरा पत्नी अल्लाउद्दीन के मकान नं. 338, वार्ड नं. 09 स्थित नदीपुरा ललितपुर को उसके हक में सर्वाधिक नीलामी की बोली बोलने पर, विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में उससे आंशिक धनराशि क्रमशः दिनांक 11.04.2019 को मु० 45,000/- रुपये एवं दिनांक 12.04.2019 को मु० 80,000/- रुपये कुल 1,25,000/- रुपये की धनराशि जमा करा ली गयी थी। तत्कालीन शाखा प्रबंधक का स्थानांतरण हो जाने के कारण वर्तमान शाखा प्रबंधक द्वारा शेष राशि को जमा करके विक्रय पत्र अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2019 को एक पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु तत्कालीन एवं वर्तमान

शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक में जमा की गयी विक्रयपत्र की रजिस्ट्री की प्रति, विक्रय करने के सम्बन्ध में की गयी संविदा की प्रति, विवादित मकान का नोड्यूल सर्टिफिकेट की प्रति तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रपत्र उसे प्राप्त नहीं कराये गये हैं। उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी उक्त लोगों ने उसे अभी तक उक्त ऋण से तथा उक्त विक्रीत मकान के मालिकाना हक के सम्बन्ध में उक्त प्रपत्र न तो उपलब्ध कराये गये और न ही उससे जमा कराये गये 1,25,000/- रुपये तथा उस पर बैंक की दर से ब्याज के रुपये वापिस किये गये, जिससे वह आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान है।

3. आवेदक की ओर से सूची 5 क/1 व 6 क/1 से रूपया जमा कराने की रसीद (6 क/2), प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा आवेदक को लिखे गये पत्र दिनांकित 20.12.2019 की छायाप्रति (6 क/3), उक्त पत्र की रजिस्ट्री रसीद (6 क/4), रंगीन फोटोग्राफ (6 क/5), आवेदक द्वारा मुख्य शाखा प्रबन्धक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुख्य शाखा, ललितपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.01.2025 की छायाप्रति (6 क/6), डाक ट्रेकिंग विवरण (6 क/7 ता. 6 क/10), आवेदक द्वारा थानाध्यक्ष कोतवाली ललितपुर को लिखे गये पत्र की छायाप्रति (6 क/11), डाक रसीद (6 क/12) प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक मो० इम्तियाज के उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित थाने से आख्या मंगाई गई। थाने की आख्या के अनुसार विपक्षी प्रदीप खुराना द्वारा ऋणी श्रीमती स्मोत्तरा पत्नी अलाउद्दीन के मु० नदीपुरा स्थित मकान की नीलामी की गयी थी, जिसमें आवेदक द्वारा सर्वाधिक नीलामी बोली 500000 लगाने पर मकान को खरीद लिया गया था व बैंक में कुल रूपया 125000/- रुपये जमा कर दिया गया था परन्तु इसके बाद से कई शाखा प्रबंधक बदल जाने के बाद भी आवेदक को वह मकान प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही आवेदक द्वारा जमा किया गया रूपया वापस किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में वर्तमान व तत्कालीन शाखा प्रबंधक से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि नीलामी के नियम व शर्तों के अनुसार आवेदक द्वारा समय से पूरा रूपया जमा न करने के कारण आंशिक रूप से जमा किया गया रूपया बैंक में जप्त हो गया है।

5. विपक्षीगण की ओर से लिखित आख्या दिनांकित 29.07.2025 (6 क/13/14) प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कहा गया है कि स्मोत्तरा पत्नी अलाउद्दीन एवं अलाउद्दीन पुत्र हबीब खान के द्वारा मकान की मूल रजिस्ट्री बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया गया और बैंक का ऋण व ब्याज राशि अदा न करने पर वह डिफाल्टर हो गये थे, और उनके मकान को बैंक द्वारा नीलामी पर लगा दिया गया था, जिसका विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। दिनांक 11.04.2019 को नीलामी में सर्वाधिक राशि 5,00,000/- रूपया मुहम्मद इम्तियाज ने बोली थी, इसके बाबत् बैंक एग्रीमेन्ट पर इम्तियाज ने हस्ताक्षर किये थे, जिसके बाबत् मुहम्मद इम्तियाज द्वारा दिनांक 11.04.2019 को 45,000/- रूपया व दिनांक 12.04.2019 को 80,000/- रूपया कुल 1,25,000/- रूपया, अंश, नीलामी की राशि जमा किये थे और इसके बाद नीलामी की धनराशि इम्तियाज द्वारा जमा न किये जाने पर बैंक द्वारा अनेकों बार मौका दिया गया। बैंक द्वारा मौखिक व लिखित पत्र दिये गये और आखिरी पत्र दिनांक 23.10.2019 से बैंक द्वारा मु. इम्तियाज को अंतिम नोटिस दिया गया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि नीलामी की शेष धनराशि जमा न करने पर आपके द्वारा जमा की गयी राशि 1,25,000/- रुपये बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी। उक्त नोटिस इम्तियाज द्वारा प्राप्त कर ली गयी,

लेकिन नीलामी की अवशेष राशि बैंक में जानबूझकर जमा नहीं की गयी, जिस कारण बैंक द्वारा उक्त राशि जब्त कर ली गयी। जब्त राशि बैंक के खाता संख्या 94513171104 आई.एन.आर. 9451 में जमा की गयी। उक्त जब्त राशि वर्तमान में खाता संख्या 94513171104 आई.एन.आर. 9451 में जमा है। बैंक द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी नहीं की गयी, न राशि हड़प लिया गया है और ना ही बैंक द्वारा जब्त राशि निकाली गयी है, बल्कि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक के खातों में जमा है, जिस कारण बैंक के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। स्मोत्तरा पत्नी अलाउद्दीन एवं अलाउद्दीन पुत्र हबीब खान के द्वारा मकान की मूल रजिस्ट्री बैंक में सामयिक बंधक के रूप में मूल रूप में जमा है।

6. विपक्षीगण की ओर से सूची 7 क/1 से आवेदक को भेजी गयी नोटिस की छायाप्रति (7 क/2/3), एग्रीमेण्ट टू सेल की छायाप्रति (7 क/4/5), नीलामी की सार्वजनिक सूचना की छायाप्रति (7 क/6/7), एकाउण्ट लेजर इंकवायरी की छायाप्रति (7 क/8 ता. 12), स्मोत्तरा द्वारा क्रय किये गये मकान नं. 638 की विक्रय अभिलेख की छायाप्रति (8 क/1 ता. 8 क/19) तथा सूची 11 क/1 से स्मोत्तरा को दी गयी नोटिस की छायाप्रति (11 ख/2 ता. 6), स्मोत्तरा को भेजी गयी रजिस्ट्री की रसीद की छायाप्रति (11 ख/7), पजेशन नोटिस (11 ख/8), कब्जा सूचना की छायाप्रति (11 ख/10 ता. 12), नोटिस (11 ख/13), एग्रीमेण्ट टू सेल की छायाप्रति (11 ख/14/15) तथा नीलामी सम्बन्धी अनेक प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ (11 ख/16 ता. 53), आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति (11 ख/54) और सरफेसी एक्ट की धारा 13 व 14 की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं।

7. विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश से आवेदक मो० इम्तियाज द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया कि आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से कोई संज्ञेय अपराध गठित होना प्रतीत नहीं होता है, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

8. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय की तलविदा पत्रावली का परिशीलन किया है।

9. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग नहीं किया है और बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है। आक्षेपित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में अभिमत दिया है कि उसके द्वारा नीलामी के समय विक्रय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसके अनुसार शेष धनराशि अदा न करने पर या नीलामी की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्रेता द्वारा जमा की गयी टोकन राशि को एग्रीमेण्ट की धारा 7 में अंकित शर्तों के अनुसार जब्त कर लिया जायेगा, लेकिन विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर अपना कोई अभिमत जाहिर नहीं किया है कि विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा नीलाम किये जाने वाले मकान के सम्बन्ध में नीलामी करने के पूर्व सरफेसी एक्ट में ऋणी की सम्पत्ति को विक्रय/नीलामी करने के लिये जिलाधिकारी ललितपुर के यहाँ धारा 14 एवं 15 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किये बिना किसी ऋणी की सम्पत्ति की नीलामी/विक्रय करने की कार्यवाही करने का अधिकार

नहीं था। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा जिलाधिकारी ललितपुर के यहाँ न तो कार्यवाही की गयी और न ही उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किया गया है। नीलामी के समय अथवा वर्तमान में भी नीलाम किये जाने वाले मकान/सम्पत्ति पर बैंक का या जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये किसी भी प्रबन्धक का कब्जा नहीं है और उपरोक्त परिस्थिति में नीलामी की कार्यवाही भी अवैधानिक है तथा विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा पेश किया गया एग्रीमेन्ट टू सेल भी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उपरोक्त मैन्डेटरी प्रोवीजन की अनदेखी करके तथा उसकी बिना विवेचना किये विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है, जिस कारण आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध होने के कारण चलनसार नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है। आक्षेपित आदेश में पारित किया गया यह अभिमत कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र को विलम्ब से पेश करने का कारण दर्शित नहीं किया गया है, जिससे यह अभिमत जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसके प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ पेश किये गये दस्तावेजों का सम्पूर्ण अवलोकन नहीं किया गया है और न ही उनकी विवेचना की है। निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण को उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कई बार सूचना पत्र प्रेषित किया तथा कई बार मौखिक निवेदन किया गया, जिसके सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा उसे बराबर आश्वासन दिया गया, जिसका सम्पूर्ण विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा दी गई नोटिस भी पत्रावली पर है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा उसके प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ पेश किये गये दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है, जिस कारण उक्त आदेश चलनसार नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है।

**10.** विपक्षीगण की ओर से आक्षेपित आदेश की वैधता का बचाव करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश में तथ्य, विधि या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक परिशीलन के उपरांत आक्षेपित आदेश पारित किया है। आगे यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में दी गई आख्या दिनांकित 29.07.2025 को भी उनकी बहस मानी जाये।

**11.** पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि स्मोत्तरा पत्नी अलाउद्दीन एवं अलाउद्दीन पुत्र हबीब खान के द्वारा मकान की मूल रजिस्ट्री बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया गया था और बैंक का ऋण व ब्याज अदा न करने पर वह डिफाल्टर हो गयी थी, जिसकी वजह से बंधकशुदा मकान को बैंक द्वारा नीलामी पर लगा दिया गया था। दिनांक 11.04.2019 को हुई नीलामी में सर्वाधिक राशि 5,00,000/- रूपया मुहम्मद इम्तियाज (आवेदक) ने बोली लगायी थी। इसके बाबत् बैंक के एग्रीमेन्ट टू सेल पर इम्तियाज ने हस्ताक्षर किये थे और आवेदक द्वारा दिनांक 11.04.2019 को 45,000/- रूपया व दिनांक 12.04.2019 को 80,000/- रूपया कुल 1,25,000/- रूपया नीलामी की राशि जमा किया गया था।

**12.** आवेदक के अनुसार, उसने स्मोत्तरा के ऋण से सम्बन्धित विक्रीत मकान के मालिकाना हक के सम्बन्ध में बैंक में जमा की गई विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की प्रति, ऋण लेते समय बैंक के हक में ऋण ली गई धनराशि की वसूली, उक्त मकान को नीलाम करके विक्रय करने के सम्बन्ध में की गयी संविदा की प्रति, ऋण लेते समय बैंक द्वारा उक्त मकान के नोड्यूल प्रमाणपत्र की प्रति तथा नगर पालिका ललितपुर के कर निर्धारण रजिस्टर में उक्त ऋणी स्मोत्तरा का नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में नकल माँगी थी, किन्तु बैंक द्वारा उसे

उक्त नकलें नहीं दी गईं। बैंक ने नीलामी के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा जमा किये गये 1,25,000/- रुपये को जब्त कर लिया है, जबकि आवेदक उक्त रूपयों को मय ब्याज वापस लेना चाहता है। बैंक की ओर से कहा गया है कि उसके द्वारा कोई धोखा-धड़ी तथा अमानत में ख्यानत नहीं की गई है। कई बार नोटिस देने के बावजूद आवेदक ने नीलामी का बकाया पैसा नहीं दिया तो बैंक द्वारा अग्रीमेंट टू सेल (Agreement to sale) की शर्तों के अनुसार उक्त राशि जब्त कर ली गयी। जब्त राशि बैंक के खाता संख्या 94513171104 आई.एन.आर. 9451 में रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जमा की गई। उक्त जब्त राशि वर्तमान में खाता संख्या 94513171104 आई.एन.आर. 9451 में जमा है।

13. मामले में उभयपक्ष के मध्य निष्पादित एग्रीमेण्ट टू सेल (Agreement to Sale) का उल्लेख करना असंगत न होगा-

#### **“Agreement to Sell**

This Agreement of sell is made at Lalitpur on 11<sup>th</sup> of April, 2019 between PRATHMA U.P. GRAMIN BANK, a body corporate constituted under Regional Rural Bank Act, 1976 and Branch Office at Lalitpur Distt Lalitpur hereinafter called “THE BANK (which expression shall include its successors and assigns wherever the context the FIRST PART and

**Muh Imtiyaj S/o Muh Ibrahim Add- Katra Bazaar Lalitpur** (describe the name, constitution and address of the purchaser) hereinafter referred to as “THE PURCHASER” (which expression shall include successors and assigns wherever the context or meaning shall so require or permit) of the SECOND PART.8

Whereas a loan had been granted by the Bank to **Esmotara W/o Alauddin Malik & Alauddin Malik Sio Habib Khan** hereinafter called “THE DEBTOR”.

Whereas the debtor failed to make the payment of the installments of the loan and interest and hence the Bank took over possession of the assets of the debtor's concern, detailed in the schedule, in exercise of the power conferred under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. The assets were auctioned /sold by inviting open offers/tenders/quotations/private treaty and the highest bid/offer of **Rs. 500000/- (Five Lac Only)** of the purchaser was accepted and the Bank agreed to sell the assets to the purchaser on the terms and conditions hereinafter mentioned.

Whereas the purchaser who has agreed to purchase on the terms and conditions hereinafter mentioned, has deposited a sum of **Rs. 125000/- (One Lac Twenty Five Thousand Only)** with the Bank towards the part payment of the sale price as per agreed terms.

**NOW THIS AGREEMENT TO SELL WITNESSETH AS FOLLOWS:**

1. The Bank has sold by auction/inviting tenders/inviting quotations/entering into private treaty, the assets of Esmotara w/o Alauddin Malik & Alauddin Malik s/o Habib Khan and the purchaser Muh Imtiyaj s/o Muh Ibrahim, Add–Katra Bazaar Lalitpur has agreed to purchase in consideration of a sum of Rs. 500000/– (Five Lac and only). The details of the assets agreed to be sold are given in the schedule hereto.
2. The purchaser has made an initial deposit of a sum of Rs. 125000/– (One Lac Twenty Five Thousand Only) towards the part payment of the sale price with the Bank the receipt whereof the Bank hereby admits and acknowledges and the balance of Rs. 375000/– (three Lac Seventy Five Thousand Only) shall be paid by the purchaser on or before 26.04.2019. The EMD made by purchaser stands adjusted against the initial deposit.
3. The possession of the properties agreed to be sold will be given only on payment of the price as provided in para 1 hereof. (To be appropriately modified in cases where sale is made on the basis of symbolic possession).
4. The purchaser shall get the certificate of sale executed by the bank at his cost.
5. The ownership of the asset shall pass on to the purchaser after the certificate of sale is executed and registered in favour of the purchaser.
6. The Bank has sold the assets on 'As is, where is' basis.
7. **In case of default in the payment of balance sale price or in case of breach of any of the terms and conditions of this agreement to sell, the deposit made by the purchaser shall stand forfeited.**

**SCHEDULE OF ASSETS**

Residential Building Measuring Area: 25.11 sqmt. Which is situated at H.No. 338, Ward No. 09 Nosay Khan ki Gali Near dawood Khan tailor House Nadipura Lalitpur (U.P.)

In WITNESS WHEREOF, the said purchaser and Bank have here into set and subscribed their hands to these presents and counterpart at Jhansi on the day and the year first hereinabove written and in the manner hereinafter appearing.”

14. इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा नीलामी लेने के कारण बैंक में जमा करायी गयी नीलामी की धनराशि मु. 1,25,000/– रुपये, शेष धनराशि न जमा करने के कारण नियमानुसार विपक्षीगण/बैंक द्वारा जब्त करके बैंक के

खाते में जमा की गई है। प्रत्येक संस्था से सूचना/अभिलेख प्राप्त करने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा वांछित सूचना/अभिलेखों को प्राप्त किया जा सकता है। मामले में आवेदक यदि चाहे तो वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है।

15. उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस मत का है कि आक्षेपित आदेश में तथ्य, विधि या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई युक्तियुक्त व तर्क संगत आधार विद्यमान नहीं है। तद्विस्तार निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

### आदेश

दाण्डिक निगरानी सं. 73/2025 निरस्त की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 176/2025, मो० इम्तियाज बनाम प्रदीप खुराना, धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., थाना-कोतवाली ललितपुर, जिला-ललितपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 20.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

इस आदेश एवं निर्णय की एक प्रति विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली पर रखे जाने हेतु भेजी जाए।

दिनांक: 30.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),  
सत्र न्यायाधीश,  
ललितपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।  
दिनांक: 30.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),  
सत्र न्यायाधीश,  
ललितपुर।